

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

<p>प्रेषक, अधिकासी अभियन्ता, मान0सेल लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर लखनऊ। संख्या 380/AA/मीए-17 दिनांक 27/07/17</p>	<p>सेवा में, मे0 आर्षा इन्फ्रा प्रा0लि0 2/169, विवेक खण्ड, गोमती नगर लखनऊ। नत्थी.....</p>
<p>विषय:- खसरा सं0-114स, ग्राम-टेराखास, सतरिक रोड लखनऊ, पर ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में।</p>	

महोदय,

कृपया आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर समूह आवास भवन के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र प्रस्ताव को तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 30.06.2017 के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त समिति के सदस्यों द्वारा सशर्त स्वीकृत हेतु की गयी संस्तुति के कम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। तत्क्रम में देय शुल्कों, जमा कराये जाने वाले अभिलेखों/शपथ पत्र/प्रमाण पत्र तथा प्रस्तुत किये जाने वाले अपनात्ति प्रमाण पत्र का विवरण निम्नवत् है:-


- 1- शुल्कों का विवरण:
- 2- (A) निरीक्षण शुल्क : Rs. 2,40,000.00
- (B) बन्धा शुल्क : Rs. 44,79,700.00
- (C) शेल्टर शुल्क : Rs. 69,19,500.00
- (D) लेबर सेस : Rs. 23,48,500.00
- (E) वाह्य विकास शुल्क : Rs. 1,25,76,200.00
- (F) अम्बार शुल्क : भूखण्ड परिसर के अन्तर्गत समस्त निर्माण सामग्री रखने हेतु अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर अम्बार शुल्क देय नहीं है।
- (G) आन्तरिक विकास कार्य : आन्तरिक विकास से सम्बन्धित प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आन्तरिक विकास कार्य हेतु आगणित विकास शुल्क का 50 प्रतिशत की बैंक गारण्टी तथा उक्त हेतु 01 प्रतिशत निरीक्षण शुल्क की सूचना दी जायेगी।
2. अग्नि शमन विभाग, विद्युत विभाग, नजूल विभाग, रेलवे विभाग एवं एस.पी. यातायात विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र।
3. एम.टेक. (स्ट्रक्चरल इंजीनियर) के माध्यम से तैयार स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्परोध आवश्यक प्रपत्र, डिजाइन सम्बन्धी मानचित्र तथा गणनाएं प्रस्तुत करनी होगी।

प्रतिबंध:-

- 1 भूस्वामित्व तथा चौहद्दी आदि के वाद-विवाद होन/उत्पन्न होने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 2 शासनादेश के अनुसार भवन निर्माण के समय लेबर एक्ट तथा नेशनल बिल्डिंग सेफ्टी काउंसिल के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

- 3 भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विभाग की कोई देनदारी निकलती है तो पक्ष द्वारा देय होगी।
- 4 अपार्टमेंट एक्ट एवं रेरा एक्ट का अनुपालन करना होगा।
- 5 भवन या कालोनी को स्थानीय संस्थाएँ को हस्तान्तरित किये जाने तक विकास कर्ता द्वारा स्वयं/आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा रख रखाव किये जाने की जिम्मेदारी होगी।
- 6 रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटाप एरिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- 7 अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा।
- 8 स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं को मानकों के अनुसार विकसित करना तथा उनकी स्थानीय निकायों की सेवाओं से संयोजित करने का उत्तरदायित्व भू-स्वामी/निर्माण कर्ता का होगा।
- 9 शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबंध, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण एवं लैंड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
- 10 नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
- 11 विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्तव्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध सुनिश्चित किया जायें।
- 12 भवन का उपयोग करने के पूर्व सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 13 भू-स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर निर्माण करते समय किसी प्रकार के गड्डें न हो तथा उसमें जल भराव न हो।
- 14 पक्ष को स्थल पर निर्माण के समय स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित कर एक सूचना पट लगाना अनिवार्य है।
- 15 यदि मानचित्र एवं स्थल भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित शुल्कों को प्राधिकरण कोष में जमा कर चालान की सत्यापित प्रति एवं क्रम सं०-02 में उल्लिखित विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उल्लिखित शपथ पत्र/प्रमाण पत्र/भूकम्परोधी आवश्यक अभिलेखों को पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित कराया जाना सम्भव हो सके।


 अधिशासी अभियन्ता
 (मानचित्र सेल)

